भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1322

दिनांक 11 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न

पशु चिकित्सा दवाओं के लिए समन्वित विनियामक ढांचा

1322 डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने निम्नलिखित भागों (ख) से (घ) को ध्यान में रखते हुए पशु चिकित्सा दवाओं के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, औषधि विभाग, राज्य सरकारों और अन्य संबंधित हितधारकों के परामर्श से एक व्यापक और समन्वित नियामक तंत्र स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) क्या मंजूरी, विनिर्माण और निगरानी में कई एजेंसियों की भागीदारी है, जिसके परिणामस्वरूप विनियमन गत अतिव्यापन और कमियां उत्पन्न होती हैं;

(ग) क्या प्रभावी अंतर-मंत्रालयी समन्वय और अभिकरणों में आपसी समन्वय का अभाव है;

(घ) गुणवत्ता नियंत्रण, उपलब्धता, मूल्य निर्धारण, दुरुपयोग और रोगाणुरोधी प्रतिरोध से संबंधित चिंताएं क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार विनियमन को मजबूत करने, समन्वय में सुधार करने और पशु स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एकीकृत दिशानिर्देश जारी करने या विधायी उपाय लागू करने का विचार रखती है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ङ) औषधियों की सुरक्षा और गुणवत्ता मानक को सुनिश्चित करने के लिए इनके आयात, विनिर्माण, वितरण और विक्रय को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाता है। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) द्वारा उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं:

i. भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशु स्वास्थ्य-विनियामक संबंधी अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है, जो एक उप-समिति है। यह समिति औषधिययों और टीकों के निर्यात के संबंध में केंद्रीय औषिधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) को तकनीकी इन्पुट देने के लिए पशु चिकित्सा वैक्सीन/बायोलोजिकल्स/औषिधियों संबंधी उप-मिशन का आकलन करने और सिफारिशें करने के लिए बनाई गई है।

ii. रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Anti-Microbial Resistance) पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP-AMR) लागू है, जो रोगाणुरोधी औषधियों के इष्टतम उपयोग, जागरूकता और प्रशिक्षण, निगरानी और मॉनीटरिंगआदि पर केंद्रित है।

iii. पशुधन और पोल्ट्री के लिए 'मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशानिर्देश (SVTGs)' तैयार किए गए हैं, ताकि पशु चिकित्सा देखभाल में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सके और रोगाणुरोधी औषधियों सहित औषधियों का जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

iv. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) योजना के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पशुपालन की अच्छी पद्धतियों, जैव सुरक्षा/स्वच्छता उपायों, पशु रोगों के टीकाकरण, रोग निगरानी एवं नियंत्रण तथा क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षण और जागरूकता हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे एंटीबायोटिक दवाओं का कम उपयोग सुनिश्चित होता है।

v. राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन के अंतर्गत भारत पशुधन एप्लिकेशन, एथनो-वेटेरिनरी मेडिसिन (EVM) का उपयोग करके मैस्टाइटिस, अपच, दस्त आदि जैसे डेयरी पशुओं के सामान्य रोगों से निपटने की सुविधा प्रदान करता है।

vi. भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्य उत्पादन करने वाले पशुओं के उपचार में एंटीबायोटिक दवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग, पशु आहार में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को रोकने और सामान्य जागरूकता के लिए परामर्श जारी किए हैं।

*****